सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-528
05/12/2016

समस्याओं के समाधान से लोगों में लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था बढ़ती है :– मुख्यमंत्री

पटना, 05 दिसम्बर 2016 :– मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभाकक्ष में आज पहला लोक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि लोक संवाद के कार्यक्रम में सभी का स्वागत करता हूँ। यह एक नये कार्यक्रम की शुरूआत है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 में हमने एक कार्यक्रम की शुरूआत की थी 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री'। लोग अपनी शिकायत लेकर आते थे, लोगों की शिकायत को सुनते थे। विभागों के मंत्री एवं अधिकारी उपस्थित रहते थे। वे भी लोगों की शिकायतों को सुनते थे तथा उन शिकायतों के निष्पादन की चेष्टा की जाती थी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अन्य अधिकारियों के लिये भी शिकायतों के सुनने की तिथि निर्धारित की गयी थी। लोगों की बातें सुनी जाती थी तथा उनके समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता था। विभिन्न स्तरों पर प्राप्त होने वाली शिकायतों को आपस में जोड़ा गया। साथ ही लोग जो शिकायत करते थे, उन्हें शिकायत में की गयी कार्रवाई की जानकारी भी दी जाती थी ताकि लोग स्वयं भी जान सकें कि उनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई की गयी है। उन्होंने कहा कि दस वर्षों में हमने देखा कि लोगों की शिकायतों को सुना जा रहा था तथा उनके शिकायतों के समाधान की चेष्टा हो रही थी परन्तु शिकायतों के समाधान की गारंटी नहीं थी। उन्होंने कहा कि अपने अनुभव के आधार पर हमने सोचा कि क्यों नहीं लोगों को उनके शिकायतों के समाधान का कानूनी अधिकार दिया जाय।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के लागू होने के पॉच वर्ष के पश्चात लोक सेवा का अधिकार कानून लागू किया गया, जिसमें लोगों को 52 से 54 प्रकार की सेवायें दी जाती हैं। प्रखण्ड स्तर पर लोगों का विभिन्न प्रकार के प्रमाण–पत्र बनाये जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून को लागू करने के पश्चात मैं सेवा यात्रा पर निकलकर इस काम को देखता रहा। उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने से लोगों के समय और पैसे दोनों की बचत हुयी। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत 14 करोड़ से ज्यादा सेवायें प्रदान की गयी है। इस कानून के लागू होने के पॉच वर्षों के पश्चात यानी जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दस वर्ष के पश्चात लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून लागू किया गया। उन्होंने कहा कि 5 जून 2016 से लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून लागू कर दिया गया है। जिला एवं अनुमण्डलों में लोक शिकायत निवारण केन्द्र की स्थापना की गयी है। उन्होंने कहा कि निश्चय यात्रा के क्रम में हम आठ जिलों का भ्रमण कर चुके हैं। भ्रमण के दौरान लोक शिकायत निवारण केन्द्रों में की जा रही कार्रवाई को देखा है। उन्होंने कहा कि अब लोग अपनी शिकायत लोक शिकायत निवारण केन्द्र में देते हैं। उनकी शिकायत पर उन्हें एवं जिस विभाग से उनकी शिकायत संबंधित है, के अधिकारी को तिथि निर्धारित कर बुलाया जाता है। शिकायतकर्ता एवं अधिकारी को आमने–सामने बैठाकर शिकायतों का निष्पादन किया जाता है। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को सम्मन जारी करने का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा कि मैंने खुद भी देखा है कि एक व्यक्ति का बिजली के बिल से संबंधित शिकायत थी, उसने अपनी शिकायत दर्ज की। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा तिथि

निर्धारित कर शिकायतकर्ता एवं बिजली विभाग के अभियंता को बुलाया गया। मामले में अभियंता द्वारा जॉच कर बताया गया कि बिजली बिल गलत है। शिकायतकर्ता का बिजली बिल मात्र बारह हजार रूपये होना चाहिये, इस पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने शिकायकर्ता से पूछा कि क्या आप संतुष्ट हैं तो शिकायतकर्ता ने कहा कि हॉ मैं संतुष्ट हूँ। उन्होंने कहा कि 5 जून से अब तक कुल 86,000 शिकायत प्राप्त हुये हैं, जिसमें 67,000 शिकायतों का निष्पादन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का जो मकसद था, वही मकसद यहॉ भी है, लोगों के शिकायतों का निष्पादन। उन्होंने कहा कि अगर जिला स्तर की शिकायत अनुमण्डल में दर्ज हो गयी हो या अनुमण्डल स्तर की शिकायत जिला में दर्ज हो गयी हो तो शिकायतों के ट्रांसफर करने का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण कानून लागू कर बिहार ने एक नया अभिनव प्रयोग किया है। इस तरह का कानून एवं व्यवस्था और कहीं नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में जब लोक सेवा अधिकार कानून लागू हुआ था तो उसे देखने के लिये राज्य के बाहर से लेाग आते थे। उन्होंने कहा कि समस्याओं के समाधान से लोगों में लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था बढ़ती है। यह जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम से एक कदम आगे है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे मन में यह बात थी कि लोक संवाद का कार्यक्रम करेंगे, लेागों से उनकी राय जानेंगे। लोगों की राय से बिहार के विकास को रफ्तार मिलेगा। जमीन पर रहने वाले लोगों के पास बहुत से आइडिया होते हैं। उन्होंने कहा कि हमने अब तक बिहार के विकास के लिये जो किया है, उसका आइडिया लोगों से मिलकर ही आया है। उन्होंने कहा कि मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि लोगों द्वारा भेजा गया आवेदन पत्र नहीं बल्कि सुझाव पत्र है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि लोग पहले अपने सुझाव का सारांश भेजें क्योंकि इससे संबंधित विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे एवं इससे कार्य के कार्यान्वयन में भी तेजी आयेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के पास अपने अनुभव के आधार पर, प्रदेश की परिस्थिति के अनुरूप कोई सुझाव है तो दें, हम सबकी बात सुनना चाहते हैं। आपके सुझाव पर क्या राय बनती है, उससे भी आपको अवगत कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम कारगर ढ़ंग से क्रियान्वित होता रहा तो यह एक उदाहरण बनेगा तथा लोग बिहार के संदर्भ में सोचने के लिये बाध्य होंगे तथा अपना सुझाव देंगे। उन्होंने कहा कि इससे नीतियों के सूत्रण एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में बहुत फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पहला लोक संवाद कार्यक्रम का आयोजन है, आज का दिन ऐतिहासिक है।

आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, भवन निर्माण, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, नगर विकास एवं आवास, पंचायती राज, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, उद्योग, गन्ना उद्योग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, सूचना प्रावैधिकी एवं पर्यटन विभाग से संबंधित कुल 34 व्यक्तियों द्वारा अपने–अपने सुझाव एवं राय दिये गये। आज के आयोजित कार्यक्रम में पटना के श्री अरविन्द कुमार, पटना सिटी के शहदाब अहमद, पटना के श्री शशि अंकित मुद्गल, पटना के श्री राम कुमार, पटना के श्री हेमंत कुमार सिंह, मुँगेर के श्री श्याम नंदन कुमार, खुसरूपुर की श्रीमती सोनिया कुमारी, पटना सदन के श्री दीपक कुमार, पटना के सैर्फूर रहमान, पटना के श्री अमित कुमार सिंह, दानापुर के श्री शिवेन्द्र नाथ त्रिपाठी, पटना सिटी के श्री अनूप कुमार सिन्हा, पटना के श्री रंजीत कुमार, मुँगेर के श्री संदीप राज, पटना के श्री मनोज कुमार, श्री सुजीत कुमार, समस्तीपुर के श्री सन्नी कुमार, पटना के शशि कपूर, सुपौल के श्री दुर्गा प्रसाद चौधरी, पूर्वी चम्पारण के श्री किशन कुमार, गोपालगंज के श्री राजीव कुमार पाठक, शेखपुरा के श्री साधु शरण यादव, नवादा के श्री अमोद कुमार, दरभंगा के मोहम्मद इकबाल अंसारी, पटना के श्री विनय कुमार, छपरा के सुबिर कुमार सिंह, गया के श्री अमरेन्द्र कुमार, दीघा के श्री निहार, सहरसा के श्री निशान्त कुमार,

पूर्णिया के श्री शिवाजी राव, सीवान के मुजफ्फर इलियास, अमरपुर के श्री चंदन कुमार एवं अन्य ने अपने–अपने सुझाव एवं राय मुख्यमंत्री को दिया। प्राप्त सुझाव एवं राय पर संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव ने वस्तुस्थिति को स्पष्ट किया। लोगों से प्राप्त सुझाव एवं राय पर मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया।

आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, जल संसाधन मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, शिक्षा मंत्री श्री अशोक चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार, ग्रामीण कार्य मंत्री श्री शैलेश कुमार, उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह, गन्ना उद्योग मंत्री श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री श्री कृष्णनंदन वर्मा, पंचायती राज मंत्री श्री कपिलदेव कामत, पर्यटन मंत्री श्री अनिता देवी, मेयर पटना नगर निगम श्री अफजल इमाम, मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चन्द्रा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा सहित संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव उपस्थित थे।

आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री ने मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उतर देते हुये कहा कि लोक संवाद कार्यक्रम का आयोजन पहला, दूसरा एवं तीसरे सोमवार को किया जायेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है। लोक संवाद कार्यक्रम के आयोजन से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि लोक संवाद कार्यक्रम जन शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया है। यह एक अभिनव प्रयोग है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में लोग अपनी राय देंगे। कोई नया आइडिया लेकर आता है तो वो भी सुनना है। लोगों की राय जानने के लिये बहुत उपर्युक्त फोरम है। इससे नई बातों की जानकारी होगी तथा क्षेत्र में हो रहे कार्यों का फीडबैक मिलेगा। इससे राज–काज और बेहतर होगा। नोटबंदी एवं जमीन खरीद के संदर्भ में पूछे गये प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नोटबंदी केन्द्र सरकार की योजना है। केन्द्र सरकार को इसके विभिन्न पहलुओं को देखना चाहिये। जमीन खरीद का मामला जब सरकार के पास आयेगा तो निबंधन विभाग अपना काम करेगी। उन्होंने कहा कि अकेले नोटबंदी से बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं है। केन्द्र सरकार को बेनामी संपति पर हिट करना चाहिये। अभी इसके लिये उपर्युक्त समय है, इसके बिना लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। कैशलेस इकोनॉमी के संदर्भ में पूछे गये प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दुनिया कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है। पूरे तौर पर भारत में कैशलेस इकोनॉमी नहीं चल सकता है। यहॉ की जो परिस्थिति है, यहॉ पर कैश ट्रांजेक्शन तो होता रही रहेगा। शत–प्रतिशत कैशलेस इकोनॉमी एक कल्पना एवं विचार हो सकता है। नोटबंदी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप देखिये आज गरीब आदमी लाइन में खड़ा है, फिर भी नाराज नहीं है क्योंकि उसे लग रहा है कि भ्रष्टाचारियों के अवैध धन पर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई नहीं होने पर केन्द्र सरकार को जवाब देना होगा इसलिये उन्हें बेनामी संपति पर भी हिट करना चाहिये। बेनामी संपति पर हिट किये बिना और देश में शराबबंदी लागू किये बिना कुछ नहीं हो सकता है। जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित पूछे गये प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण नसबंदी से नहीं बल्कि शिक्षा के माध्यम से होगा। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता के संदर्भ में पूछे गये प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।

****